न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

राजस्व लोक अदालत

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :— 147/2015

निर्णय दिनांकः— 14.10.2015

उनवान

1.देवनारायण पुत्र गोपाल जाति गुर्जर निवासी गोठडा, तहसील उनियारा जिला टोंक
2.देवन्ता पुत्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी गोठडा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.रूकमा पत्नी गोपाल जाति गुर्जर निवासी गोठडा तहसील उनियारा जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितः— श्री बेणी प्रसाद मीणा, वकील वादीगण
पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि आराजी साबिक ख0न0 4/1 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम गोठडा तहसील उनियारा मे स्थित है। जो वादीगण के पिता व पति गोपाल को भू आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनांक 28.11. 1975 को आवंटित की जाकर मोके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, तब से ही वादीगण के पिता गोपाल जीवित रहे स्वयं काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्युपरान्त उक्त आराजी पर वादीगण का निरंतर बिना किसी बाधा के कृब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी को वादीगण के पिता/ पति गोपाल के नाम गैर खातेदारी मे अमल दरामद कर दी गई तथा वादीगण की उक्त आराजी के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हाल ख0न0 7 रकबा 0.31 है0 व ख0न0 8 रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम गोठडा तहसील उनियारा बनाये गये है, जिसमे से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी दितीय टोंक के आदेश कमांक 39 दिनांक 11.5.1999 के द्वारा वादीगण के पिता को आराजी ख0न0 8 रकबा 0.37 है0 तो खातेदारी मे दर्ज कर दिया परन्तु आराजी ख0न0 7 रकबा 0.31 है0 गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया , जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। वादग्रस्त आराजी ख0न0 7, 8 के नवीन ख0न0 8 रकबा 0.31 है0 व ख0न0 9 रकबा 0.37 है0 बनाये गये है, जिनमे से ख0न0 9 रकबा 0.37 है0 वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया, जबकि वादीगण को पूर्व साबिक ख0न0[redacted] 4/1 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम गोठडा से बने नवीन ख0न0 [redacted] 8 रकबा 0.31 है0 व ख0न0 9 रकबा 0.37 है0 पर आज भी कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह कि वादीगण की अधियाचना है कि वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे। आराजी ख0न0 8 रकबा 0.31 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा तहसील उनियारा जिला टोंक का वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण की और से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने जवाब दावा प्रस्तुत किया कि साबिक ख0न0 4/1 में 3 बीघा भूमि वादीगण के पिता गोपाल को आवंटन हुयी थी। जिसका गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज हुआ था। वर्तमान ख0न0 8 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम गोठडा का खातेदार नही है। वादीगण को आवंटितशुदा आराजी मे से कम रकबे की खातेदारी प्राप्त हुयी है। आवंटित भूमि की खातेदारी दिया जाना उचित है।

वादीगण वकील व पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। नामान्तरकरण संख्या 178 ग्राम गोठडा अलाटमेन्ट दिनांक 28.11.1975 की पालना मे भरा गया है, जिसमे ख0न0 4/1 रकबा 3 बीघा गोपाल पुत्र हरजी गुर्जर सा0 देह के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुयी है। नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक ख0न0 4 मि रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा से हाल ख0न0 7 रकबा 0.31 व 8 रकबा 0.37 कायम हुये है। कल्याणपुरा राजस्व ग्राम बनने से साबिक ख0 7 के हाल नम्बर 8 व साबिक ख0न0 8 के हाल ख0न0 9 बने है। जमाबन्दी ग्राम गोठडा आराजी ख0न0 8 रकबा 0.37 है0 गोपाल पुत्र हरजी गूजर सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। जमाबन्दी ग्राम गोठडा सम्वत 2070–2073 मे हाल आराजी ख0न0 9 रकबा 0.37 है0 वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण के पिता गोपाल को साबिक आराजी ख0न0 4/1 वाके ग्राम गोठडा तहसील उनियारा मे 3 बीघा भूमि आवंटित हुयी है, जिसमे से वादीगण के पिता को हाल आराजी ख0न0. 8 रकबा 0.37 है0 की ही खातेदारी प्राप्त हुयी है। साबिक आराजी ख0न0 4/1 मि से हाल ख0न0 7 रकबा 0.31 है0 भी बना है, जिस पर भी वादीगण के पिता गोपाल का कब्जा काश्त दर्ज रेकार्ड है। वादीगण के पिता को कम रकबे की खातेदारी प्राप्त होना जाहिर है। ख0न0 7 रकबा 0.31 है0 काबिल काश्त है। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने भी आवंटित रकबे की खातेदारी दिये जाने मे अपनी आपत्ति प्रकट नहीं की है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को डिकी किया जाना उचित समझता है। अतः वाद वादीगण डिकी किया जाता है। वादीगण को हाल आराजी ख0न0 8 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम गोठडा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.देवनारायण पुत्र गोपाल जाति गुर्जर निवासी गोठडा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.देवन्ता पुत्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी गोठडा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.रूकमा पत्नी गोपाल जाति गुर्जर निवासी गोठडा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर :– 147 वर्ष 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाष चन्द शर्मा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री बेणी प्रसाद मीणा वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व श्री पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण को हाल आराजी ख0न0 8 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम गोठडा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 10 सन् 2015 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner